<u>डिस्कलेमर</u>

अंतरिम आदेश संख्या 10/2021-22 का परिशिष्ट हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010 एमवाईटीपी/सीएएसआई/बीएमई/बीएलआर/सीपी-III/2021-26

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 10/ 2021-22 का परिशिष्ट

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली - 110003

जारी करने की तारीख: 13 जुलाई, 2022

सेवा	:	**ब्रिज माउंटेड उपस्कर (बीएमई) सेवाएं**
सेवा प्रदाता	:	**मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**
हवाईअड्डा/ Airport	:	**कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू**
हवाईअड्डा प्रचालक	:	**बैंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड/**

मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलुरू में बीएमई सेवाएं प्रदान करने के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

आदेश

हितधारकों द्वारा की गई प्रस्तुतियों सहित रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने और इसका विश्लेषण करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स सीएएसआई द्वारा कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू में प्रदान की जाने वाली ब्रिज माउंटेड उपस्कर (बीएमई) सेवाएं ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं का हिस्सा मानी जाती है; इसलिए केआईए, बैंगलुरू में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए बीएई सेवाओं के लिए टैरिफ दिनांक 27.08.2021 के आदेश संख्या 10/2021-22 के परिशिष्ट के रूप में निर्धारित की जाती है। इस आदेश में प्राधिकरण ने सीएएसआई द्वारा केआईए, बैंगलुरू में प्रदान की गई ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित की थी।

(ii) प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीएएसआई) को तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए **"संलग्लक–I"** के अनुसार बीएमई सेवाओं के लिए टैरिफ लगाने की अनुमति देने का निर्णय लिया।

(iii) टैरिफ दर 16 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगी।

(iv) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि ऊपर बताए अनुसार निर्धारित टैरिफ वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(v) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।

(vi) इसमें ऊपर निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(vii) सीएएसआई भविष्य के टैरिफ के निर्धारण के लिए बीएमई सेवाओं सहित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए समेकित एमवाईटीपी प्रस्तुत करेगा।

(viii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
रूम नम्बर. सीई 01, इंपोर्ट बिल्डिंग 2, इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल,
आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली -110037
(मार्फत : श्री मुरली रामचन्द्रन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

प्रतिलिपि:

i सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
ii श्री हरी मरार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, अल्फा 2, कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू -560300